RAJYA SABHA

Monday, the 6th May, 1985/the-16th, *Vaisakha,* 1907 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*[81. *The questioner (Shri Shanker Sinh Vaghela) was absent. For answer,* vide cols. 36— 41 infra.]

*82. *[The questioner (Shri Gaya Chand Bhuyan) was absent. For answer,* vide cols. 41—43 infra.]

Manufacture of Banned Pesticides

*83. SHRI VIRENDRA VERMA:f

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is fact that a number of pesticides such as Nicotine Sulphate, DDT, Aldicarb etc. which have been banned in other countries, are still being manufactured for use in the country; and.

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) and (b) The import and manufacture of pesticides in India, is regulated, *inter-alia,* under the Insecticides Act, 1988. Before allowing the import/manufacture of pesticides in the country, the Registration Committee, set up under the Act, takes into account all the relevant aspects like efficacy of the insecticide and its safety to human beings and animals with reference to Indian conditions.

tThe question was actually asked on the floor of the House by 'Shri Virendra Verma.

288 RS—1.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : श्रीमन्, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिन पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की मैंने चर्चा की है, संसार के प्रगतिशील देशों में यू० एस० ए०, और यू० के० और ई० ई० सी० की जितनी कन्ट्रीज हैं और अन्य जितने प्रगतिशील देश हैं उन सभी देशों में उनका प्रयोग करना बंद कर दिया गया है और बंद करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इनका प्रयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना में और बढ़ाये जाने की बात है, और क्या इस संबंध में उन्होंने विदेशों से जानकारी प्राप्त की है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, विदेशों की जो जानकारी हमारे पास है और जिन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग अमेरिका में या दूसरे यूरोपीय देशों में बंद किया गया है, उसका हमारे यहां प्रयोग है, किन्तु उनमें से कुछ का प्रयोग रिस्टिक्टेड है या कुछ फेज्ड-आउट किये गये हैं। इन बातों की पूरी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस को पढ़कर बता दूं तो मैं वह कर सकता हूं और अगर माननीय सदस्य उन स्टेट्स के बारे में, जानना चाहते हैं, उन पेस्टिसाइड्स के बारे में जिनका प्रयोग बंद कर दिया गया है और उनकी हमारे यहां क्या स्थिति है, वह सूचना भी मेरे पास उपलब्ध है, यह भी मैं उनको बता सकता हूं। यह बात सही है कि बहुत से पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जो बाहर के देशों में बंद कर दिये गये हैं, लेकिन हमारे यहां अभी उनका प्रयोग हो रहा है, बनाये भी जा रहे हैं। कहीं-कहीं उनका आयात भी किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने अपने मूल उत्तर में कहा था, इनसेक्टीसाइड्स एक्ट के अन्तर्गत जो स्टेटयूटरी कमेटी है, उसमें ज्यादातर विशेषज्ञ हैं जो भारत की जलवायु और जो हमारे यहां कंडीशन्स हैं, उसमें जानवरों और इंसानों

को पेस्टिसाइड्स से क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, उन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही फैसला करते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, हिसार, पंतनगर और आई० सी० ए० आर०, दिल्ली ने अपनी जांच-पड़ताल कर यह सिद्ध किया है कि जहां इन कीटनाशक दवाओं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है वहां भूमि में, फलों में, सब्जियों में, दूध में, घी में, बटर में, फिश में, आयल में, पल्सेज में, ग्रेन्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, उसके रेजिड्यू रह जाते हैं जो इंसान के जीवन और स्वास्थ्य के लिये बहुत खतरनाक होते हैं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि बी० एस० सी०, डी० डी० टी०, एल्डिकार्ब, क्लोडीन और भी इस प्रकार की दवायें हैं जो पूर्णतः यू० के०, यू० एस० ए० और ई० ई० सी० आदि कंट्रीज में बंद कर दी गई हैं लेकिन हमारे देश में उनका प्रयोग बढ़ रहा है और तीसरा 'सी' पार्ट यह है कि क्या यह सही है कि अगस्त, 1984 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इस संबंध में एक कमेटी या कमीशन बनाया था जो कि इन बातों की जांच करेगा? तो अगस्त से अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है और क्या इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, मैं तीसरे 'सी' पार्ट का जवाब पहले देना चाहूंगा और वह इसलिये कि जिन संस्थाओं का माननीय सदस्य ने नाम लिया है उनके बारे में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कृषि मंत्रालय द्वारा . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा : वह मैं आपको भेज दूंगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : कृषि मंत्रालय द्वारा एक रेफरेन्स दिया गया था और रजिस्ट्रेशन कमेटी की जो 71वीं बैठक थी उसमें 28 जुलाई को ई० डी० बी० के ऊपर गौर किया गया और मीटिंग में यह कहा गया था कि इसके बारे में अपना दृष्टिकोण जाहिर करते हुए जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस कमेटी की मीटिंग से संबंधित किया जाये और उसी के अनुसार सीनियर डाइरेक्टर-जनरल, इंडियन कौंसिल आफ मैडिकल रिसर्च और रिसर्च डाइरेक्टर, टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी उस चर्चा में भाग लिया जो कृषि मंत्रालय से रेफरेंस मिलने के बाद समिति की बैठक में हुई है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वहां यह जो रेफरेंस आया है और जो शिकायतें आई हैं इन पेस्टिसाइड्स के बारे में उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां इसका प्रयोग केवल सेडयूमिगेशन के लिये किया जा रहा है। इस्तेमाल के बारे में कि क्या इससे नुकसान ज्यादा होगा तो ऐसी संभावनायें नहीं हैं या कम हैं। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि एपिडेमलाजिकल स्टडीज के एबसेंस में क्योंकि अभी तक इसकी कोई स्टेडी नहीं की गई है इसलिये यह कहना भी कठिन है कि इसके कारण कैंसर हो सकता है। एक्सपर्ट्स कमेटी श्री एस० एन० बनर्जी रिटायर्ड प्लान्ट प्रोटेक्शन एडवाइजर के नेतृत्व में बनाई गई जिसमें कई विभागों के प्रतिनिधि थे। इस एक्सपर्ट कमेटी का यह काम है जो पेस्टिसाइड्स के बारे में शिकायतें मिली हैं उन के बारे में जांच करना। इस कमेटी को सिफारिश, संस्तुति अभी तक सरकार को नहीं मिली है और कमेटी का काम जारी है।

श्रीमन्, इस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कई एक संस्थाओं द्वारा विशेषज्ञ समितियां बनाई गई हैं जिन्होंने इन शिकायतों की जांच की है। यह बात याद रखना जरूरी होगा कि अब से बीस साल पहले तक हमारे देश में 200 मिलियन इंसान मलेरिया से प्रभावित होते थे। वार्षिक नुक्सान जो आय का था वह साधारणतया एक बिलियन डालर का होता तथा इन औषधियों से हमने मलेरिया पर कंट्रोल पाने की कोशिश की। 1965 के पहले के आंकड़ों के अनुसार 99.8 प्रतिशत मलेरिया की बीमारी पर काबू पा लिया गया था। श्रीमन् . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा: पेस्टिसाइड्स जो कृषि के लिये प्रयोग होते हैं उनसे मलेरिया पर कंट्रोल के लिये आदमी इस्तेमाल . .

श्री आरिफ मुहम्मद खान : श्रीमन्, डी० डी० टी० के बारे में मूल प्रश्न में पूछा गया है। मैंने भी उसके बारे में बताया है। डी० डी० टी० का नाम लेकर मूल प्रश्न में जिक्र किया है। श्रीमन्, इसमें एक खास बात और बताना चाहूंगा कि :

Dr. N. S. Palekar of the Vegetable Development and Research Institute has carried out certain studies and *one* of the extracts of his studies is that in the Western countries, the scientists expect the half lives of pesticide compounds to be measured in years.

"But our tests suggested that under hot humid conditions half lives may be as little as six months."

हमारी जो जलवायु है, जो जलवायु की परिस्थिति है वह उन मुल्कों से भिन्न है जिन मुल्कों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है। फिर भी यह मामला विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिफरेंस मिलने पर बनायी गयी है। इस समिति की जो संस्तुतियां आयेंगी उनके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : श्रीमन्, मेरा जो पहला ही प्रश्न था उसका उत्तर नहीं मिला है जो कि सबसे इम्पारटेंट था। क्या यह सही है कि अम्बाला, लुधियाना, पंतनगर, हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और आई० सी० ए० आर० इस्टीट्यूट ने इसकी जांच की थी और जमीन में इसके रेजीड्यू बताए थे। यह भी बताया था कि यह स्वायल में, वाटर में, वेजीटेबुल्स में, ग्रेन, पल्सेज, रूट्स, स्पाइसेज, आयल सीड्स, फूड, बटर और घी आदि में हैं। यह सब्जेक्ट इम्पारटेंट है इसको एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने कहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जिन संस्थाओं के नाम लिये हैं उनके बारे में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा लेकिन The Director-General of Health Services has already carried out a small survey with regard to the contamination of foods by various pesticides. Nearly 1278 samples have been analysed in various national laboratories under the convenership . . . *(Interruption)*

शायद इसी के संदर्भ में आप सवाल पूछ रहे थे। पंजाब की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ही इसके सैम्पुल को एनेलाइज किया गया और D.D.T, and BHC were detected in almost all the cereals, though their levels in majority of the samples were low. However, the maximum levels of DDT and BHC encountered are 1.17 and 7.01 part per million respectively. The wheat flour samples collected and others also showed high BHC content. Lindane was also found in samples of rice.

SHRI VIRENDRA VERMA: Sir,...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Mr. Satya Prakash Malaviya is not here. Shri Hukmdeo Narayan Yadav.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, जो सरकार का विभाग दवा को बनवाता है, मंगवाता है और बिकवाता है उनका कहना है कि यह दवा ठीक है और जो उपभोग करने वाला सरकार का कृषि विभाग है उसका कहना है कि इस दवा में खराबी है। तो सभापति महोदय, मैं आप ही से इंसाफ चाहूंगा कि निर्माता और उपभोक्ता दोनों के बीच अगर यह विवाद खड़ा हुआ है तो इसका फैसला करने के लिये विशेषज्ञों की ही नहीं, बल्कि किसान, जो इसका उपयोग करने वाले हैं या कृषि विभाग जो इसका उपयोग करने वाला है, उनके द्वारा और दवा बनाने वाली कम्पनियां या दवा बनाने वाला विभाग जो है इन सबकी सम्मिलित रूप से एक जांच कमेटी बने और इस बात की जांच कराई जाये।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि जो माननीय सदस्य ने पूछा कि कृषि विश्व-विद्यालय और भारत सरकार का जो आई० सी० ए० आर० सबसे बड़ा संस्थान है

जो जांच करता है, कृषि पर अनुसंधान करता है, इनकी रिपोर्ट है कि इससे केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि जो खाने के सामान हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उन पर बुरा असर पड़ रहा है और इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। तो अब तक सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और कृषि विभाग से प्रतिवेदन क्यों नहीं आया और दोनों विभागों ने मिलकर जांच क्यों नहीं की है इस बारे में, सरकार ने अनुसंधान नहीं किया तो आगे भी सरकार कुछ करना चाहती है ताकि मिलेजुले रूप में दोनों मिलकर कोई उपाय निकालें ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, यही हमारी कोशिश है कि इसके बारे में जो शिकायतें मिल रही हैं उनकी पूरी जांच-पड़ताल कर के कुछ ऐसी कार्यवाही की जा सके जिससे कि इन दवाओं से जो होने वाले कुप्रभाव हैं उनको रोका जा सके। मैंने पहले ही निवेदन किया कि कृषि मंत्रालय से यह रिफरेंस मिलने पर एक विशेषज्ञों की समिति बनायी गयी है और यह विशेषज्ञ कृषि के ही विशेषज्ञ, प्लांट प्रोटेक्शन के विशेषज्ञ हैं और उनहें उन्हीं नुक्सानों पर जो नुक्सान पेस्टिसाइड्स से सब्जियों को या दूसरे क्राप्स को होते हैं उनको ध्यान में रख कर अपनी संस्तुति देने के लिए कहा गया है। उनसे संस्तुति मिलने पर सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब यह बात स्वीकार की गई है कि इससे खतरा है और जीवन पर खतरा है और कुछ देशों में यह साबित हो चुका है, उस पर रोक लगाई जा चुकी है, तो जब तक यह कमेटी जांच करती है, पेंडिंग इन्क्वायरी, आप इस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं ? क्योंकि इट इनवाल्वज लाइफ एंड वैरी सेरियस डेमेज, तो पेंडिंग इन्क्वायरी, इस पर रोक लगाने में सरकार को क्या एतराज है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : चूंकि इसके इस्तेमाल से लाभ भी हैं और अभी तक इस निष्कर्ष पर पूरी तरह नहीं पहुंचा गया है . . .

श्री चतुरानन मिश्र : दूसरे देशों में पहुंचा गया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : लेकिन अभी-अभी जैसा मैंने पढ़ कर बताया कि विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट है कि ठण्डे मुल्कों में उनसे होने वाले खतरे भिन्न हैं, हमारी जैसी जलवायु में होने वाले खतरे अलग हैं। लेकिन उन खतरों के साथ-साथ बहुत से फायदे भी होते हैं। इसके बारे में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। वह जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और सरकार को अपनी संस्तुति देगी, उसके बारे में कार्यवाही होगी और श्रीमन्, मैंने पहले ही बताया कि इस समिति में दो डाक्टर भी डिसकशन में शामिल थे और उन्होंने जो आब्जरवेशन की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि निश्चित खतरा है, इसके बारे में निश्चितता से नहीं कहा जा सकता। वह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं।

SHRI N. E. BALARAM: The honourable Minister has stated that a statutory committee has taken up the whole affair. But what I find is that till now no measures have been taken to prevent this sort of pesticides spreading in the country. Could the Government immediately interfere in the matter and find out a solution?

SHRI ARIF MOHD. KHAN: It is only to find out a solution that the reference has been made and a statutory committee is going into the details of the questions. As I have already stated, the committee will make its recommendations. Government is fully alive to the problem. The committee will come to some conclusion and as soon as their recommendation comes, we ,will see what best can be done.

श्री सैयद रहमत अली : सर, आली जनाब मिनिस्टर साहब ने सर्द और गर्म मुल्कों में डी० डी० टी० और दूसरी दवाओं के नुक्सानात और फायदों के बारे में बात कही, मैं आली जनाब मिनिस्टर साहब से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

इस बात से वाकिफ है कि डी० डी० टी० के असरात न सिर्फ सब्जियों में, बल्कि मां के दूध में भी पाये गये हैं। मासूम बच्चों को जो माएं दूध पिलाती हैं, अगर डी०डी०टी० के असरात उन मासूम बच्चों तक पहुंचें, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में उसका फायदा होगा या नुक्सान होगा, यह मंत्री जी बतायें ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, जैसा मोअजिज़ मेम्बर ने कहा है—यह इस पर मुनहसिर है कि उसके अंदर उसके कितने पार्टिकल्ज़ पाये जाते हैं और उसी मामले को तय करने के लिए, उसी सवाल को तय करने के लिए यह एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई है। उनसे यही तवक्को की जाती है कि वह इसके नुक्सानात के बारे में पूरी जांच-पड़ताल करेंगे और उसके बारे में अपनी सिफारिश सरकार को देंगे।

Quashing the Government orders of price fixation of drugs by the High Courts

*84. SHRI B. V. ABDULLA KOYA: +
SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of price fixation orders of bulk drugs and formulations have been quashed, by Delhi, Bombay and other High Courts;

(b) if so, what are the names of. the producers and the items;

(c) what are the grounds on which the price fixation orders of his Ministry have been quashed by various High Courts;

(d) whether it is a fact that these companies have made and.

tThe question was actually asked on the floor of the House by . Shri B. V. Abdulla Koya.

are making huge unintended profits on these drugs and the public are paying very high prices for these drugs;

(e) what are the fixed prices of each bulk drug and formula tions and what are the prices at which these bulk drugs and for mulations are being sold by the manufacturers;

(f) whether it is also a fact that High Courts had issued directives to the manufacturers in respect of unintended profits; and

(g) if so, what are the details thereof and what steps Government have taken to recover the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) to (g) A statement is laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

(a) Certain Orders of the Government issued under the Drugs (Prices Control) Order, 1979 revising fixing the prices of certain bulk drugs and formulations have been quashed by Delhi and Bombay High Courts.

(b) and (e) Names of the major companies involved and their products, the prices fixed by the Government and the prices which they are now charging as a result of the judgements are shown in the attached Annexure.

(c) The major ground *inter-alia* for quashing the Order that the principles justice should be followed. ing the prices and the parti. on the basis of which are to be re-fixed should be made known to the manufacturers and opportunity given to them to make a representation and only then a decision should